न्यायालय सत्र न्यायाधीश, सहारनपुर।
पीठासीन अधिकारी–सतेन्द्र कुमार, उच्चतर न्यायिक सेवा।
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 2934 सन 2026
CNR. No.UPSP 01006991 2026

शाहनजर उर्फ भोलू उर्फ शोएब पुत्र शेर मौहम्मद निवासी मौहल्ला सराय हिसामुददीन, शाहनूरजी थाना कुतुबशेर जिला सहारनपुर।

.....प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उ0प्र0 राज्य। **.....विपक्षी।**

मु0अ0सं0–321/2026,
धारा–109(1) बी0एन0एस0 व
3/25/27 आयुध अधि0
थाना सदर बाजार, जिला सहारनपुर।

निस्तारण जमानत प्रार्थना–पत्र

10.07.2026

प्रार्थी/अभियुक्त **शाहनजर उर्फ भोलू उर्फ शोएब** की ओर से उपरोक्त वर्णित अभियोग में जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त **दिनांक 26.06.2026** से न्यायिक अभिरक्षा में हैं।

जमानत प्रार्थानापत्र के साथ अभियुक्त की ओर से श्रीमती रेशमा पत्नी शाहनजर का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। प्रस्तुत प्रकरण के सन्दर्भ में अभियुक्त का अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 26.06.2026 को उपनिरीक्षक योगेन्द्र सिंह मय हमराहीयान थाना से रपट सं0–17 समय 08:30 बजे रवाना होकर गश्त करते हुए हसनपुर चौराहे पर पहुॅचे तो मुखबिर खास द्वारा सूचना दी गयी कि मुकदमे में वांछित अभियुक्त शाह नजर रामपुर मनिहारान की तरफ से आ रहा है। उक्त सूचना पर पुलिस कर्मियो द्वारा मय मुखबिर दिल्ली रोड पर वाहन चैकिंग कर रहे थे तभी कुछ देर बाद रामपुर की तरफ से यामाह मोटर साईकिल पर आते एक व्यक्ति की तरफ मुखबिर द्वारा इशारा करने पर उक्त व्यक्ति को रूकने का इशारा किया गया परन्तु उक्त व्यक्ति अचनाक मोटर साईकिल को न्यू आवास विकास की तरफ लेकर भागने के प्रयास में मोटर साईकिल फिसलने से गिर गया और तभी उक्त व्यक्ति द्वारा झाडियो की आड लेकर पुलिस कर्मियो पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। जिससे पुलिस कर्मियो द्वारा स्वॅय को बचाते हुए उक्त व्यक्ति का दबिश देकर पकड लिया गया। अभियुक्त का नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी जिसमे उसने अपना नाम शाहनजर उर्फ भोलू उर्फ शोएब बताया तथा उसकी जामा तलाशी में उसके पास से एक तमंचा 315 बोर जिसकी नाल में खोखा कारतूस फसा हुआ था व एक जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। उक्त सन्दर्भ में मौके पर फर्द तैयार कर अभियुक्त को थाना लाया गया।

मौके पर तैयार की गयी फर्द के आधार पर थाना पर यह अभियोग अभियुक्त के विरूद्ध पंजीकृत मामले की विवेचना प्रारम्भ की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को सुना गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से मुख्य रूप से यह बहस की गई है कि उसे इस मामले में रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदी नहीं हुई है। पुलिस द्वारा झूठा बरामदगी दर्शायी गयी है। अभियुक्त को उसके ससुराल से उठाकर इस मामले में आलिप्त किया गया है, जिसकी सी.सी.टी.वी. फुटेज अभियुक्त के पास सुरक्षित है। अभियुक्त इस मामले में दिनांक 26.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

थाना से प्राप्त केस डायरी एवं आख्या का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर करने उसके कब्जे से अवैध तमंचा व कारतूस बरामद होने का आक्षेप है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार आवेदक/अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर पुलिस कर्मियो पर फायर करते समय गिरफतार किया जाना व उसके कब्जे से एक तमंचा, कारतूस जिसे वह बिना अनुज्ञप्ति के अपने पास रखे था, बरामद होना दर्शित किया गया है परन्तु उक्त सन्दर्भ में तैयार की गयी फर्द बरामदगी में अभियुक्त की कथित प्रकार से गिरफतारी व उसके कब्जे से कथित बरामदगी की घटना का कोई जन साक्षी होना दर्शित नहीं है। अभियोजन के अनुसार घटना में किसी भी पुलिस कर्मी को आग्नेयास्त्र की कोई चोट आना अभिकथित नहीं है। मामला नो इंजरी से सम्बन्धित है। आवेदक/अभियुक्त इस मामल में दिनांक 26.06.2026 से कारागार में निरूद्ध है। थाना से प्राप्त आपराधिक इतिहास में वर्णित सभी मामलो में अभियुक्त के जमानत पर होने का तर्क अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है।

अतः मामले के उपरोक्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना, प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है। तद्नुसार प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य हैं।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **शाहनजर उर्फ भोलू उर्फ शोएब** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा अंकन चालीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान राशि का एक विश्वसनीय प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय
की संतुष्टि के दाखिल करने पर उसे निम्नलिखित शर्तो के अधीन दौरान मुकदमा जमानत पर अवमुक्त किया जाये–

1.मामले के प्रत्येक सुनवाई पर प्रार्थी/अभियुक्त स्वॅय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा।

2.आवेदक/अभियुक्त आरोप विरचन के समय तथा बयान अन्तर्गत धारा–351बी0 एन0एस0एस0 के अभिलिखित होने के समय अथवा न्यायालय द्वारा अपेक्षा किये जाने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।

3.साक्षीगण के उपस्थित आने पर अभियुक्त कोई स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा।

4.अभियुक्त साक्षीगण को किसी प्रकार से उत्प्रेरित अथवा भयभीत नहीं करेगा

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में उसकी जमानत विचारण न्यायालय द्वारा विधिनुसार निरस्त की जा सकेगी।

(सतेन्द्र कुमार)
दिनांक 10.07.2026 **सत्र न्यायाधीश,सहारनपुर।**
I.D.UP-1891